

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :-51/2024

दर्ज दिनांक 08.05.2024

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2024/130

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. सोहनीदेवी पत्नि मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल पिता मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डिम्पल पुत्री मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देउ पुत्री मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लेहरू पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालु पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::  
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता वादी
2. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3
3. विपक्षी संख्या 1, 4, 5 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:- 8/12/2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.09.2029 के द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का दुगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	किशोरपुरा	38	104	0.03 गे.मु. आचा
2			105	0.12
3			106	0.15



*(Handwritten signature)*  
सहायक कलक्टर  
(राज.जी.रायपुर)

4			107	0.12
5			109	0.20
6			11	0.42
7			110	0.13
8			111	0.18
9			112	0.22
10			113	0.08
11			114	0.17
12			115	0.09
13			116	0.13
14			117	0.07
15			118	0.32
16			12	0.25
17			121	0.20
18			122	0.14
19			123	0.10
20			124	0.12
21			125	0.13
22			13	0.25
23			14	0.25
24			15	0.34
25			347 / 126	0.06
	कुल किता कुल रकबा		25	4.29

- उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्से का मौके पर कब्जे को आधार मानते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्रीजारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भूअ./2025/1398 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
  3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है।
  4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	1. भैरूलाल पुत्र मांगु 1/4 गुजर	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	11	0.42
	2. डिम्पल पुत्री मांगु 1/4 गुजर		124	0.12
	3. देउ पुत्री मांगु 1/4 गुजर		107 / 1	0.11
	4. सोहनीदेवी पत्नी मांगु 1/4 गुजर		109 / 1	0.04
		योग	118 / 1	0.14
			5	0.83



सहायक कलेक्टर  
जयपुर

2	1. प्रभु पुत्र केला 1/2 गुजर रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा 2. लेहरू पुत्र केला 1/4 गुजर 3. लालु पुत्र केला 1/4 गुजर	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	12/1	0.24
			13/1	0.24
			14	0.25
			15/1	0.32
			105/1	0.11
			106/1	0.14
			109/2	0.15
			110	0.13
			111	0.18
			112	0.22
			113/1	0.07
			114	0.17
			115	0.09
			116	0.13
			117	0.09
			118/2	0.18
			121/1	0.17
122/1	0.13			
123	0.10			
125	0.13			
			347/126	0.06
योग			21	3.30
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	12/2	0.01
			13/2	0.01
			15/2	0.02
			104	0.03
			105/2	0.01
			106/2	0.01
			107/2	0.01
			109/3	0.01
			113/2	0.01
122/2	0.01			
			121/2	0.03
योग			11	0.16

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(करुणा लाडोती)

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 8/12/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)  
(सहायक कलेक्टर)

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :-51/2024

दर्ज दिनांक 08.05.2024

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2024/130

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. सोहनीदेवी पत्नि मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल पिता मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डिम्पल पुत्री मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देउ पुत्री मांगू गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लेहरू पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालु पुत्र केला गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::  
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

निर्णय दिनांक : 8/12/2025

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर वहाजरी अधिवक्ता वादी श्री फारुख मोहम्मद मन्सूरी, अमरसिंह चारण व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	1. भैरूलाल पुत्र मांगु 1/4 गुजर	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	11	0.42
	2. डिम्पल पुत्री मांगु 1/4 गुजर		124	0.12
	3. देउ पुत्री मांगु 1/4 गुजर		107/1	0.11
	4. सोहनीदेवी पत्नि मांगु 1/4 गुजर		109/1	0.04
			118/1	0.14
		योग	5	0.83
2	1. प्रभु पुत्र केला 1/2 गुजर रहन वीआरकेजीवी शाखा मोखुन्दा	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	12/1	0.24
			13/1	0.24
	14		0.25	
	15/1		0.32	
	105/1		0.11	
2. लेहरू पुत्र केला 1/4 गुजर लालु पुत्र केला 1/4 गुजर	106/1	0.14		



सहायक कलक्टर  
 (एच.टी.ओ.) रायपुर


			109/2	0.15
			110	0.13
			111	0.18
			112	0.22
			113/1	0.07
			114	0.17
			115	0.09
			116	0.13
			117	0.09
			118/2	0.18
			121/1	0.17
			122/1	0.13
			123	0.10
			125	0.13
			347/126	0.06
		योग	21	3.30
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 38)	12/2	0.01
			13/2	0.01
			15/2	0.02
			104	0.03
			105/2	0.01
			106/2	0.01
			107/2	0.01
			109/3	0.01
			113/2	0.01
			122/2	0.01
			121/2	0.03
		योग	11	0.16

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....  
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की  
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।  
 बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/12/25 को जारी किया गया।

  
 (करुणा लाडोती)  
 सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, राधपुरा (भीलवाड़ा)  
 (एस.डी.ओ.) राधपुर

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



  
 सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, राधपुरा (भीलवाड़ा)  
 (एस.डी.ओ.) राधपुर